प्रेषक

मिशन निदेशक ,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
19–ए, विधान सभाग मार्ग, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
(इलाहाबाद, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद एवं सोनभद्र को छोड़कर)।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17/ 4254-70 **दिनांक** 10-8-16

विषयः–राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर, 2016 को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि 01 से 19 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के उक्त 70 जनपदों में दिनांक 10.08.2016 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (नेशनल डीवर्मिंग डे) मनाया जाना था, जिसमें 01 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को पेट की कीड़े की गोली (एल्बेन्डाजॉल 400 मि0ग्रा0) सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो में शिक्षको और आंगनवाड़ी केन्द्रो में आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा खिलाया जाना था।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त, 2016 हेतु मुख्य सचिव द्वारा पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17/3931–70 दिनांक 29.07.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अब 10 अगस्त 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर, 2016 को मनाया जाएगा।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु उक्त से अवगत होते हुये तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

9/8

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव/सचिव माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/पंचायतीराज/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, 19–ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक
आर0बी0एस0के0

प्रेषक

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
(इलाहाबाद, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद एवं सोनभद्र को छोड़कर)।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17 3931-70 दिनांक 23/7/16

विषयः– नेशनल डीवर्मिंग डे 10 अगस्त 2016 के सफल कियान्वयन के सन्दर्भ में निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि 01 से 19 वर्ष तक के आयु के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के उक्त 70 जनपदों में दिनांक 10.08.2016 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (नेशनल डीवर्मिंग डे) मनाया जाना है, जिसमें 01 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को पेट की कीड़े की गोली (एल्बेन्डाजॉल 400 मि0ग्रा0) सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो में शिक्षकों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा खिलाये जाने की योजना हैं। कार्यक्रम के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17/3425–2 दिनांक 14.07.2016, पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17/3426–2 दिनांक 14.07.2016 तथा पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17/3685–75 दिनांक 22.07.2016 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैः–

- एन0डी0डी0 के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आई0सी0डी0एस0), माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा व जनपद के सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की जाय, जिसमें सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये कार्यक्रम संचालन की रणनीति तैयार की जाय।
- नेशनल डीवर्मिंग डे से एक सप्ताह पूर्व से गाँव में मुनादी एवं स्कूलों में प्रभातफेरी का आयोजन किया जाय जिससे ग्राम स्तर पर इस विषय पर जागरूकता उत्पन्न हो सके।
- जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक के एजेन्डा में नेशनल डीवर्मिंग डे को सम्मिलित किया जाय।
- जनपदों में एन0डी0डी0 कार्यक्रम हेतु एल्बेन्डाजॉल दवाई की समय से उपलब्धता, आई0ई0सी0 सामग्री की प्रिन्टिग, सामुदायिक स्तर पर प्रचार–प्रसार गतिविधियां सुनिश्चित की जाय।
- यह देखा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की उपस्थिति कम रहती है, जिससे कार्यक्रम प्रभावित होता है। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आई0सी0डी0एस0) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जनपद व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों/आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ अध्यापकों/ए0एन0एम0/आशा आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

- कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तीनों विभागों (माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार (आई0सी0डी0एस0) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य) के अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- कवरेज रिपोर्टिंग के दौरान निर्धारित समयावधि का पालन प्रत्येक स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार समय–समय पर समीक्षा करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

/

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव

7890-70(5)

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016–17 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/पंचायतीराज/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, 19–ए विधान सभा मार्ग लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमित कुमार घोष)
सचिव